CBDT ने 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APAs) किये हैं।

- **इसमें 63 APA (UAPA) और 32 द्विपक्षीय APA (BAPA) शामिल हैं।**
  - यह किसी एक वित्तीय वर्ष में CBDT द्वारा अब तक किये गए सर्वाधिक BAPA हैं।
- भारत के संधिभागीदारों **फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान के साथ आपसी समझौतों के बाद BAPAs** पर हस्ताक्षर किये गए।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA):

- **परिचय:**
  - भारत में **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) कार्यक्रम को वर्ष 2012 में वित्त अधिनियम, 2012** के माध्यम से **आयकर अधिनियम, 1961** **में धारा 92CC एवं 92CD** को सम्मिलित करके शुरू किया गया था।
  - APA **भविष्य के वर्षों के लिये करदाता के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के मूल्य निर्धारण के लिये** हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति का निर्धारण करने वाले करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है।
    - एक बार APA मुहरबंद हो जाने के बाद, **कुछ नियमों और शर्तों की पूर्ति के आधार पर कार्यप्रणाली को एक निश्चित अवधि के लिये** कार्यान्वित किया जाना है।
- **प्रकार:**
  - APA एकतरफा, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है।
    - **एकपक्षीय APA:** एक APA जिसमें **केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण** शामिल होता है जहाँ करदाता स्थित होता है।
    - **द्विपक्षीय APA (BAPA)**: एक APA जिसमें **करदाता, विदेश में करदाता का संबद्ध उद्यम (AE), उस देश का कर प्राधिकरण जहाँ करदाता स्थित है और विदेशी कर प्राधिकरण** शामिल है।
    - **बहुपक्षीय APA (MAPA):** एक **APA जिसमें करदाता, विभिन्न विदेशी देशों में करदाता के दो या दो से अधिक AE,** उस देश के कर प्राधिकरण जहाँ करदाता स्थित है और AE के कर प्राधिकरण शामिल हैं।
- **महत्त्व:**
  - APA कार्यक्रम का व्यापार करने में सुलभता (**ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस**) को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
  - यह कार्यक्रम का विशेष लाभ **सीमा पार लेनदेन** में होता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(Central Board of Direct Taxes- CBDT)

- यह **केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963** के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यह **वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक अंग है।**
- यह भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिये इनपुट प्रदान करता है और आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिये भी उत्तरदायी है।
- प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत **आयकर**, निगम कर आदि शामिल हैं।

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cbdt-signs-95-advance-pricing-agreements